वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 194/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-30.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 30.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना मेंहनगर: साइबर फ्राड के 45,770 रुपया आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.10.2024 को आवेदक अमलेश पुत्र दुर्गविजय सरोज निवासी वार्ड 06 आजाद नगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ का मोबाइल फोन गुम हो जाने के पश्चात आवेदक के खाते से 58,519 रुपये का फ्राड हो गया। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा NCRP पर शिकायत पंजीकृत करायी थी जिसका Ack No. 23110240xxxxxx है। जिसमें NCRP के माध्यम से 58,519 रू0 में से 48,969 रू0 फ्राडस्टर के खाते तथा अन्य खातों में फ्रीज हुआ था। जो विभिन्न तिथियों से दिनांक 29.05.2025 तक आवेदक के फ्राड हुए कुल 45,770 रूपये वापस करा दिया गया है।

रुपया वापसी का विवरण:-

आवेदक अमलेश पुत्र दुर्गविजय सरोज निवासी वार्ड 06 आजाद नगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के द्वारा NCRP पर शिकायत दर्ज किया गया। जिस पर साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित खाते को फ्रिज कराया गया। तत्पश्चात् प्रभारी निरीक्षक मेंहनगर के निर्देश पर साइबर क्राइम टीम थाना मेंहनगर SIUT तुषार त्रिपाठी व क0आ0 श्याम चन्द्र यादव तथा म0का0 रेखा चौधरी द्वारा उपरोक्त फ्राड का पैसा वापस कराने हेतु आवेदक से सम्पर्क कर फ्रीज हुए 48,969 रुपये को Refund कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए फ्राड हुये आवेदक के 45,770 रु0 नियमानुसार आवेदक के खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा पैसा पाकर पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार
2. SIUT तुषार त्रिपाठी
3. क0आ0 श्याम चन्द्र यादव
4. म0का0 रेखा चौधरी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

02. थाना- कोतवाली: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

वादी दुर्गा चौहान पुत्र मुराली चौहान साकिन शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 28.5.2025 की रात समय करीब 10-11 बजे को प्रार्थी के गाँव मे दिनेश चौहान पुत्र सुबाष चौहान के घर ग्राम तुरकौली झझवा थाना जीयनपुर से बारात आयी थी बराती ने प्रार्थी के लडके आलोक चौहान से पानी मागे तो आलोक चौहान ने बाराती को पानी दिया। इतने मे जय हिन्द चौहान व इनके साथ आकाश चौहान, विकास चौहान पुत्रगण अज्ञात गाली गुप्ता देने लगे। आलोक चौहान ने गाली देने से मना किया तो जयहिन्द चौहान पुत्र अज्ञात ने आलोक को जान से मारने की नियत से उसके पीठ मे चाकू मार दिया। जिससे बुरी तरह से घायल हो गया। मेरा लडका आलोक चौहान जिला अस्पताल आजमगढ़ मे भर्ती है। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दि. 29.5.25 को मु0अ0सं0 246/25 धारा 3(5),352,109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 30.5.25 को उ0नि0 अतिक अहमद, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जयहिन्द चौहान पुत्र रामलाल चौहान ग्राम तुरकौली झझवा थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को समय 09.20 बजे हाफिजपुर मोड़ ग्राम चन्दौका से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 246/25 धारा 3(5),352,109 बीएनएस व 4 /25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1-जयहिन्द चौहान पुत्र रामलाल चौहान ग्राम तुरकौली झझवा थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1- घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 30.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को **आजीवन कारावास व 50000-50000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना कन्धरापुरः हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000-50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 27.10.2012 को वादी मुकदमा शिवनारायण सोनी पुत्र स्व0 राममुरत सोनी निवासी शाहपुर मौलानी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 27.10.2012 को वादी के पुत्र रामचन्द्र सोनी को अभियुक्तगण **1. अवनीश राय पुत्र विनोद राय निवासी बसही थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. दीपक सर्राफ पुत्र स्व0 नन्दलाल सेठ निवासी मुहल्ला गुरुटोला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा तेजाब फेक कर जान से मार कर हत्या कर दी गयी थी।**

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 380/2012 धारा-302,120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 30.05.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **1. अवनीश राय पुत्र विनोद राय निवासी बसही थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. दीपक सर्राफ पुत्र स्व0 नन्दलाल सेठ निवासी मुहल्ला गुरुटोला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50000-50000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 30.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 1 वर्ष 6 माह के कारावास से व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना मुबारकपुरः गैंगेस्टर एक्ट में 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 1 वर्ष 6 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 04.03.2005 को वादी मुकदमा श्री सभाजीत पाल प्र0नि0 मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त इनामुलहक पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी पूरा दुल्हन कस्बा व थाना

मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 118/2005 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 30.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त इनामुलहक पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी पूरा दुल्हन कस्बा व थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 1 वर्ष 6 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 30.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 03 वर्ष 9 माह 9 दिन के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना जीयनपुरः गैगेस्टर में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 03 वर्ष 9 माह 9 दिन के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 01.09.2009 को वादी मुकदमा अशोक सारस्वत प्र0नि0 जीयनपुर जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त श्याम नारायण सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु **अपराध कारित करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 662/2009 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 30.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम नारायण सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ **को** जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि **03 वर्ष 9 माह 9 दिन के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।